न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीना आर.ए.एस.
राजस्व लोक अदालत अभियान 2018—कैम्प ग्राम पंचायत डूण्डलोद

राजस्व वाद संख्या 77/2018
नूर मोहम्द पुत्र पीरू जाति व्यापारी मुसलमान निवासी ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—वादी

बनाम

1. इशाकअली कुरेशी
2. सफी मोहम्मद पुत्रान उमरदीन
3. सतार
4. रमज्यान
5. जमाल पुत्रान पीरू
6. इकबाल
7. मकबूल पुत्रान यासीन
8. ईशब
9. निजाम
10. याकूब पुत्रान अहमद खां समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासी ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ
11. यूको बैंक शाखा डूण्डलोद जरिये शाखा प्रबंधक
12. बडौदा राज0 क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा डूण्डलोद जरिये शाखा प्रबंधक
13. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत— इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकार्ड

निर्णय

निर्णय दिनांक 12.06.2018

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 10 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा ग्राम डूण्डलोद के स्थाई निवासी हैं। वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 7 स्व0 पीरू के वारिसान हैं। वाके ग्राम पबाना की सरहद में भूमि खाता सं0 23 के अंतर्गत ख.न. 427/1.80, 428/1.56, 471/2.83, 472/0.93, 930/471/1.88, किता 5 कुल रकबा 9.00 है0 जिसके पुराने ख.न. 269, 281 कुल रकबा 35 बीघा 12 बिश्वा स्थित है जिसे आगे वाद में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी का हिस्सा 1/12 है तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 का तथा 1/12 हिस्सा प्रतिवादीगण सं0 6 व 7 का है तथा 1/2 हिस्सा प्रतवादीगण सं0 8 लगायत 10 का है। इसी हिस्सेनुसार राजस्व रिकार्ड चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित खातेदारी काश्त की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 10 के मध्य खातेदारी संबंधी कोई विवाद नही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में सह काश्तकार होने की वजह से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। उपरोक्त वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 10 अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है और आबाद है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण नं.1 लगायत 7 के पूर्वज पीरू को इन्तकाल होने पर उसके वारिसान के नाम नामा0सं0 361 जमाबंदी सं0 2032 से 2036 में भरा गया जिसमें वादी का नाम नूर मोहम्मद के स्थान पर गलत चलता रहा उसके पश्चात जमाबंदी संवत 2051 से 2054 में वादी का गलत रूप से दर्ज नाम लालू के स्थान पर कालू दर्ज कर दिया जो भी गलत दर्ज किया गया और आज तक बदस्तूर चलता आ रहा है जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम नूर मोहम्मद पुत्र पीरू है वादी का नाम लोक दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड निर्वाचक नामावली विद्युत कनेक्शन बिल गैस कनेक्शन पासबुक उपरोक्त समस्त दस्तावेज में नूर मोहम्मद दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

चला आ रहा है जो सही व वास्तविक नाम है। परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने स्व0 पीरू के [illegible] होने पर उसके वारिसान के नाम नामा0 सं0 361 भरा गया जिसमें वादी का नाम नूरमोहम्मद के स्थान पर गलत रूप से दर्ज नाम लालू के स्थान पर कालू दर्ज कर दिया जो भी गलत दर्ज किया गया। वादी अनपढ ग्रामीण प्रवेश का व्यक्ति है जिस कारण आज तक किसी प्रकार का कोई ध्यान नही दिया परन्तु जब वादी ने पटवारी हल्का से दिनांक 10.05.2018 को जमाबंदी की नकल प्राप्त की और वादी ऋण लेने हेतु बैंक गया तब बैंक वालों ने बताया कि आपके अन्य दस्तावेज में आपका नूर मोहम्मद नाम दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड के बारे में पता चला। इसलिये उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि ख.न. 427/1.80, 428/1.56, 471/2.83, 472/0.93, 930/471/1.88, किता 5 कुल रकबा 9.00 है0 वाके ग्राम पबाना में वादी का नाम कालू के स्थान पर नूर मोहम्मद दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता स्व0 उमरदीन का इन्तकाल दिनांक 04.06.2018 को हो चुका है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से स्व0 उमरदीन का नाम चला आ रहा है जिसको हटाया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है ऐसी हालत में वादी के लिये दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकार्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः इस्तदुआ वादी यह कि दावा हाजा की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे कि भूमि खाता सं0 23 के अंतर्गत ख.न. 427/1.80, 428/1.56, 471/2.83, 472/0.93, 930/471/1.88, किता 5 कुल रकबा 9.00 है0 वाके ग्राम पबाना में वादी को हिस्सा 1/12 का तथा प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को हिस्सा 1/12का तथा प्रतिवादीगण सं0 3 लगायत 5 को हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादीगण सं0 6 व 7 को हिस्सा 1/12 का तथा प्रतिवादीगण सं0 8 लगायत 10 को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा गलत रूप से दर्ज स्व0 उमरदीन का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत डुण्डलोद में पेश हुआ। वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित होकर वाद वादी डिक्री करने में सहमति जाहिर की गई। अतः उपस्थित पक्षकारान को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम पबाना संवत 2029 से 2032 के अनुसार भूमि ख.न. 269 रकबा 18 बिश्वा, ख.न. 281 रकबा 34 बीघा 14 बिश्वा किता 2 कुल रकबा 35 बीघा 12 बिश्वा की खातेदारी पीरिया पुत्र शंकरू जाति मुसलमान नि. डूण्डलोद दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत 2032 से 2036 के अनुसार भूमि ख.न. 269 रकबा 18 बिश्वा, ख.न. 281 रकबा 34 बीघा 14 बिश्वा किता 2 कुल रकबा 35 बीघा 12 बिश्वा की खातेदारी यासीन उमरदीन सतार रमजयन लालू जमाल पि0 पीरू जाति मुसलमान व्यापारी सा0 डूण्डलोद हि0 बराबर दर्ज रिकार्ड है। जिसके आगे ई.नं. 361 का अंकन किया गया है। नकल मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 के अनुसार गत ख.न. 269, 281मी से नये ख.न. 471/2.83, 281मी से नये ख.न. 472/0.93, 426/1.80, 428/1.56, 471/930/1.88 बनना प्रमाणित है। नकल जमाबंदी आधार वर्ष 2043 के अनुसार भूमि ख.न. 427/1.80, 428/1.56, 471/2.83, 472/0.93, 930/471/1.88 है0 किता 5 कुल रकबा 9.00है0 की खातेदारी अहमदखां वल्द सकरू हि0 1/2 यासीन उमरदीन सतार रमज्यान लालू जमाल पि0 पिरू जाति मुसलमान व्यापारी हि0 1/2 सा. डूण्डलोद खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत 2051 से 2054 के अनुसार भूमि ख.न. 427/1.80, 428/1.56, 471/2.83, 472/0.93, 930/471/1.88 है0 किता 5 कुल रकबा 9.00है0 की खातेदारी अहमदखां वल्द सकरू हि0 1/2 यासीन उमरदीन सतार रमज्यान कालू जमाल पि0 पिरू जाति मुसलमान व्यापारी हि0 1/2 सा.डूण्डलोद खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के अनुसार भूमि ख.न. 427/1.80, 428/1.56, 471/2.83, 472/0.93, 930/471/1.88 है0 किता 5 कुल रकबा 9.00है0 की खातेदारी ईशब निजाम याकूब पि0 अहमदखां हि0 1/2 यासीन उमरदीन सतार रामज्यान कालू जमाल पि0 पीरू हि0 1/2 जाति मुसलमान व्यापारी सा. डूण्डलोद खातेदार निजाम पुत्रअहमदा हि0 1/6 रहिन यूको बैंक डूण्डलोद मूर्तहीन राहिन इशब पुत्र अहमदा हि0 1/6 यूको बैंक डूण्डलोद मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। जिसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नामा0सं0 1295 नि.दि. 20.03.2012 विरासत यासीन पु0 पीरू फोत के स्थान पर इकबाल मकबुल मुस्लिम पु0 यासीन जरीना अमीना बिस्मिला पुत्री यासीन हि0 1/12 स्वीकार। नामा0सं0 1334 नि.दि. 20.07.2012 हकत्याग इकबाल मकबूल मुस्लिम पुत्र यासीन जरीना अमीना बिस्मला पुत्रीयां यासीन हि0 1/12 के बकजाय इकबाल मकबूल पु0 यासीन हि0 1/12 स्वीकार। नामा0सं0 1517 नि.दि. 13.05.2014 रहननामा राहिन याकूब पुत्र अहमदखां हि0 1/6 यूको बैंक शाखा डूण्डलोद मूर्तहीन स्वीकार शेष बदस्तूर जमा0 नामा0सं0 1678 नि.दि. 23.06.

उपखण्ड अधिकारी

016 रहननामा राहिन इकबाल पुत्र यासीन हि0 1/24 रहन बडोदा राज.क्षे ग्रा. बैंक शाखा डूण्डलोद [illegible]कार शेष बद0जमा दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त रिकार्ड में वादी के पिता के फौत होने पर जमाबंदी आधार वर्ष 2043 में वादी का नाम लालू दर्ज हुआ है, जो जमाबंदी संवत 2051 से 2054 में लालू के स्थान पर कालू दर्ज हा गया इसके बाद वादी का राजस्व रिकार्ड इसी नाम से दर्ज होता रहा है। वादी का नाम नूर मोहम्मद पुत्र पीरू द्वारा इस संबंध में फोटो प्रति आधार कार्ड, राशन कार्ड, निर्वाचक नामावली 2014, विद्युत विभाग के ,द्वारा जारी बिल में वादी का नाम कालू के स्थान पर नूर मोहम्मद पुत्र पीरू नाम होना प्रमाणित है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद वादी स्वीकार किया जाने में सहमति जाहिर की गई है। अतः वाद वादी स्वीकार न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम पबाना की भूमि ख.न. 427/1.80, 428/1.56, 471/2.83, 472/0.93, 930/471/1.88 है0 किता 5 कुल रकबा 9.00है0 में कालू के स्थान पर नूर मोहम्मद पुत्र पीरू का नाम राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त भूमि में वादी को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 5 को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण नं. 6 व 7 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादीगण नं. 8 लगायत 10 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतरह हो। निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को मजमे शिविर में सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर - नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम डूण्डलोद

बईजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

<u>दावा इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकार्ड</u>

मुकदमा सं0:– 77/2018 (नूर मोहम्मद बनाम ईशाक अली आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दुर्गा प्रसाद मीना (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी...वकील वादी मिनजानिब मुद्दई –वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 12.06.2018 निर्णय वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम पबाना की भूमि ख.न. 427/1.80, 428/1.56, 471/2.83, 472/0.93, 930/471/1.88 है0 किता 5 कुल रकबा 9.00है0 में कालू के स्थान पर नूर मोहम्मद पुत्र पीरू का नाम राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त भूमि में वादी को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 5 को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण नं. 6 व 7 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादीगण नं. 8 लगायत 10 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

...............–.................... मुबलिग...........–............बाबत......–.................खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.. जिन......–...................... का अदा करे।

...............–.................... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 12 माह 06 सन 2018. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

मोहर

उपखण्ड अधिकारी

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	6.00	मुतफरिक मिजान	0.00